राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ, जयपुर।

आ दे श

जुम्मे खाँ व अन्य. बनाम राजस्थान राज्य।
(एकलपीठ दाण्डिक जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-11979/2012)

30.11.2012

माननीय न्यायाधिपति श्री महेश चन्द्र शर्मा

श्री प्रकाश ठाकुरिया, अधिवक्ता वास्ते प्रार्थीगण।
श्री पीयुष कुमार, लोक अभियोजक वास्ते राज्य।

प्रार्थीगण द्वारा यह जमानत का प्रार्थना पत्र दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-438 के अन्तर्गत प्रस्तुत कर प्रार्थीगण को अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान किये जाने की प्रार्थना की गई है।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण का तर्क है कि प्रार्थीगण के विरूद्ध आरोपित आरोप भारतीय दण्ड संहिता की धारा-498(A) व 406 के है।प्रार्थीगण परिवादिया के सास-ससूर है जिनका आरोपित अपराध से कोई सरोकार नहीं है। उनका यह भी कथन है कि प्रार्थीगण को प्रकरण में झूंठा फंसाया गया है । उनका यह भी कथन है कि प्रार्थीगण सामाजिक प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति है जिन्हें पुलिस गिरफ्तार करने पर आमादा है। प्रार्थीगण के विरूद्ध आरोपित आरोप गम्भीर प्रकृति के नहीं है। अत: प्रार्थीगण को अग्रिम जमानत का लाभ प्रदान किया जावे।

लोक अभियोजक ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण तथा सुयोग्य लोक अभियोजक को जमानत प्रार्थना पत्र पर सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का अनुशीलन किया गया।

प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों में प्रकरण के गुणावगुण पर किसी प्रकार का कोई मत अभिव्यक्त किये बिना मैं प्रकरण में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-438 के प्रावधान आकर्षित करते हुए प्रार्थीगण को अधोरोपित शर्तों पर गिरफ्तार किये जाने की सूरत में जमानत पर स्वतंत्र किया जाना उचित समझता हूं।

अत: आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थीगण जुम्मे खाँ पुत्र मेहताब खाँ व

श्रीमती खतीजा पत्नी जुम्मे खाँ आरक्षी केन्द्र, तिजारा जिला- अलवर पर पंजीबद्ध प्राथमिकी संख्या-532/2012 के सम्बन्ध में 50,000/-रूपये (अक्षरे पचास हजार) का व्यक्गित बंध पत्र व 25,000/-रूपये (अक्षरे पच्चीस हजार) की दो सुदृड एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियाँ संबंधित आरक्षी केन्द्र के भारसाधक अधिकार/ अनुसंधान अधिकारी की संतुष्टि अनुसार पेश कर तस्दीक करादे तो प्रार्थीगण को गिरफ्तार किये जाने की सूरत में निम्न शर्तों पर जमानत पर स्वतंत्र कर दिया जावे:-

1. प्रार्थीगण अनुसंधान अधिकारी द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर देने के लिये जब व जहाँ अपेक्षित हो, अनुसंधान अधिकारी के समक्ष उपस्थित होगे।
2. प्रार्थीगण प्रकरण के तथ्यों से भिज्ञ किसी व्यक्ति को ऐसे तथ्यों को अनुसंधान अधिकारी या न्यायालय के समक्ष प्रकट न करने के वास्ते कोई धमकी, वचन या प्रलोभन नहीं देगे।
3. प्रार्थीगण बिना न्यायालय की पूर्व अनुमति के भारत नहीं छोड़ेगा।
4. यदि प्रार्थीगण जमानत पर स्वतंत्र होने के उपरान्त किसी प्रकार के अपराध में लिप्त पाये जाते हैं तो राज्य सरकार को यह अधिकार होगा कि वह उनकी जमानत निरस्त कराने हेतु नियमानुसार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सके।

(न्या. महेश चन्द्र शर्मा)

एमसीएस.

"All corrections made in the judgment/order have been incorporated in the judgment/order being emailed"

Mahesh Chandra Sharma

P. S.